न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक : 10.09.2025

वाद पत्र सं. : 2025/82

1. हरिराम पुत्र भोमाराम जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम जवानीपुरा, तहसील तारानगर, जिला चूरू (राज.) मो. नं. 9166486830

–अपीलांट–

बनाम

1. ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान, तहसील व जिला चूरू (राज) जरिये सरपंच
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.) जगदीश प्रसाद पुत्र हड़मानाराम, जाति जाट, निवासी गांव छाजूसर तहसील व जिला चूरू

–रेस्पोडेन्ट–

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री अर्जुनसिंह
अप्रार्थीः–श्री रमेश राहड़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 75
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

निर्णय दिनांक : 17.04.2026

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि अपीलांट की माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी की एकल खातेदारी. काश्तकारी उपयोग उपभोग की कृषि भूमि रोही मौजा ग्राम चलकोई बणीरोतान, तहसील व जिला चूरू (राज.) की सरहद में खेत खसरा संख्या–275 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा संख्या–498/236 तादादी 2.3270 हैक्टेयर कुल किता दो कुल 2.5799 हैक्टेयर अवस्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 89 है।
2. अपीलांट की माताजी ने दिनांक 31.03.2023 को जरिये उपहार विलेख अपीलांट को उपहार में दी थी। अपीलाट ने उपहार विलेख के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु श्रीमान् तहसीलदार, चूरू को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार साहब, चूरू ने उक्त प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी चलकोई बणीरोतान को नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा जिस पर हल्का पटवारी ने इंतकाल दर्ज किया जाना उचित है, रिपोर्ट कर ग्राम पंचायत में इंतकाल दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत में प्रकरण भिजवा दिया जिस ग्राम पंचायत ने वृक्ष भूमि विवादित है के अंकन के साथ दिनांक 28.09.2023 को इंतकाल खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमान्जी के समक्ष पेश की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:43 IST
Reason: SelfAttested

3. अधीनस्थ ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान, तहसील चूरू का आदेश कानून विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।
4. अपीलांट को उपहार में प्राप्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं है तथा ना ही किसी न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है मगर इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने इंतकाल विधि विरूद्ध खारिज किया है जो आदेश अपास्त होने योग्य है।
5. अपीलांट का इन्द्रचन्द वगैरा के साथ रास्ते का विवाद चल रहा है तथा इन्द्रचंद प्रभावशाली व राजनैतिक पहुँच वाला व्यक्ति है इस कारण उसके प्रभाव में आकर सरपंच ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान ने इंतकाल खारिज किया है।
6. अपीलांट को इंतकाल खारिज होने के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं था। अपीलांट दिनांक 26.08.2025 को चूरू आया तथा केसीसी बनवाने हेतु जमाबंदी की ऑनलाईन प्रतिलिपि प्राप्त की तब सर्वप्रथम इंतकाल खारिज करने के आदेश का ज्ञान हुआ। अपीलांट को इससे पूर्व कोई ज्ञान नहीं था तथा इंतकाल आदेश की दिनांक 26.08.2025 को प्रति प्राप्त हुई। अपीलांट ने जानकारी की दिनांक 26.08.2025 से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है तथा साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
7. अपील जानकारी से अंदर मियाद श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार होने से प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अपीलांट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान का आदेश निरस्त कर खसरा संख्या–275 तादादी 0.2529 हैक्टेयर व खसरा संख्या–498 / 236 तादादी 2.3270 हैक्टेयर का इंतकाल अपीलांट के नाम से दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है :–

1. प्रार्थी की माता श्रीमती परमेश्वरी देवी की वर्तमान खाता संख्या–89 की एकल खातेदारी, काश्तकारी उपयोग उपभोग की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–275 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा संख्या–498 / 236 तादादी 2.3270 हैक्टेयर कुल किता दो कुल 2.5799 हैक्टेयर रोही मौजा ग्राम चलकोई बणीरोतान, तहसील व जिला चूरू (राज.) में अवस्थित है। इस भूमि में से श्रीमती परमेश्वरी देवी दिनांक 31.03.2023 को जरिये उपहार विलेख प्रार्थी को उपहार में दी थी। प्रार्थी ने उपहार विलेख के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु श्रीमान तहसीलदार, चूरू को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार साहब, चूरू ने उक्त प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी चलकोई बणीरोतान को भिजवाकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा जिस पर हल्का पटवारी ने इंतकाल दर्ज किया जाना उचित है. रिपोर्ट कर ग्राम पंचायत में इंतकाल दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत में प्रकरण भिजवा दिया जिस ग्राम पंचायत ने कृषि भूमि विवादित है के अंकन के साथ दिनांक 28.09.2023 को इंतकाल खारिज कर दिया गया।
2. प्रार्थी को इंतकाल [illegible] ज्ञान नहीं था। प्रार्थी दिनांक 26.08.2025 को चूरू आया तथा केसीसी बन[illegible] हेतु [illegible]बंदी की ऑनलाईन प्रतिलिपि प्राप्त की तब सर्वप्रथम इंतकाल [illegible] हुआ। प्रार्थी को इससे पूर्व कोई ज्ञान नहीं था तथा इं[illegible] 26.08.2025 को प्रति प्राप्त हुई। प्रार्थी को इंतकाल आदेश की सर्वप्रथम जानक[illegible] दिनांक 26.08.2025 को होने से प्रार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया/अपीलांट की अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए माफ की जाकर अपील अपीलांट मियाद शुमार करने की कृपा करे।

8. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश राहड़ ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की भूमिधारी हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली में सीधे बहस सुनी गई।

9. अपीलांट अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 275 एवं 498/236, कुल रकबा 2.5799 हैक्टेयर, एकल खातेदारी की भूमि थी, जिसे अपीलांट की माता श्रीमती परमेश्वरी देवी द्वारा दिनांक 31.03.2023 को विधिवत उपहार विलेख के माध्यम से अपीलांट के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था। उक्त उपहार विलेख के आधार पर नामांतरण हेतु समस्त विधिक प्रक्रिया पूर्ण की गई थी तथा संबंधित हल्का पटवारी द्वारा भी नामांतरण दर्ज किए जाने की संस्तुति दी गई थी, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा मात्र "भूमि विवादित है" जैसे अस्पष्ट एवं अप्रमाणित आधार पर नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया, जो पूर्णतः मनमाना एवं विधि विरुद्ध है। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है तथा न ही स्वामित्व संबंधी कोई विवाद न्यायालय में लंबित है, जिससे नामांतरण रोका जाना उचित ठहराया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रभावी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अपीलांट के कथनों का खण्डन नहीं हो सका है। अपीलांट का मामला अभिलेखीय साक्ष्यों से पूर्णतः सिद्ध होता है। न्यायहित में यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2023 निरस्त किया जाए तथा अपीलांट के पक्ष में नामांतरण विधिवत दर्ज किया जाए। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील स्वीकार कर प्रार्थना अनुसार आदेश पारित करने की कृपा करें।

10. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उपहार विलेख के आधार पर नामांतरण दर्ज करने से इंकार किया गया था। पत्रावली, अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 0.2529 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 498/236 रकबा 2.3270 हैक्टेयर, कुल रकबा 2.5799 हैक्टेयर, खाता संख्या 89, रोही मौजा ग्राम चलकोई बणीरोतान, एकल खातेदारी की भूमि थी, जो दिनांक 31.03.2023 को वैध उपहार विलेख के माध्यम से अपीलांट को हस्तांतरित की गई थी राजस्व अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि उपहार विलेख के आधार पर नामांतरण हेतु विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा हल्का पटवारी द्वारा भी नामांतरण दर्ज किए जाने की संस्तुति दी गई थी, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा "भूमि विवादित है" के आधार पर नामांतरण को अस्वीकार कर दिया गया। अभिलेखों में यह कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि उक्त भूमि के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया हो अथवा स्वामित्व संबंधी कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन हो, जिससे नामांतरण रोका जाना विधिसम्मत ठहराया जा सके। ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश में पर्याप्त कारणों का अभाव प्रतीत होता है तथा उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो विधि की दृष्टि से सही नहीं है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिया जाता है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामान्तरण क्रमांक 1303 दिनांक 04.08.2023 पर ग्राम पंचायत चलकोई बणी. की दिनांक–20.09.2023 की कार्यवाही विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध खारिज किये जाने के कारण नामान्तरण के उक्त निर्णय को खारिज कर अपील स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरण क्रमांक 1303 दिनांक 04.08.2023 पर ग्राम पंचायत चलकोई बणी. की दिनांक–20.09.2023 की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर तहसीलदार चूरू इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर विधि संगत कार्यवाही करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:43 IST
Reason: SelfAttested